न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /20/2024

रामसिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी– ग्रांम मलाह तहसील व जिला भरतपुर
.....अपीलार्थी

बनाम

1–पन्नालाल पुत्र परभाती
2–ऊषा पुत्री निहालसिंह
3–आशा पुत्री निहाल सिंह
4–कुवंरदेई पुत्री निहाल सिंह
5–गुड्डी पुत्री निहाल सिंह
6–मनीषा पुत्री निहाल सिंह
7–सविता पुत्री निहाल सिंह
8–पूरनदेई पत्नी निहालसिंह
9–महावीर पुत्र यादराम
10–रोशनलाल पुत्र यादराम
11–शेर सिंह पुत्र यादराम
12–साहबसिंह पुत्र यादराम
– समस्त जातियान जाटव निवासी–ग्रांम मलाह तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 06–04–2015 बाबत बटवारा वापसी सहमति।

उपस्थितः–
1– श्री गोविन्द सिंह डांगुर,अभिभाषक अपीलान्ट,
2– श्री विजयसिंह झारोटीया, अभिभाषक रेस्पो0–1
3– श्री मोहन सिहं राना, अभिभाषक रेस्पो0–2 लगा. 12

निर्णय

दिनांक 19.03.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 06.04.2015 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 53 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर विभाजन का तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.06.2024 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एल.आर./2024/3957 दिनांक 03.07.24 से अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश कानून के खिलाफ तहसीलदार द्वारा किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 795/0.26, 795/1520/0.037 है0 किता–2 रकवा 0.63 है0 ग्रांम नगला सैह में स्थित है, दोनों खसरा नम्बरान में रोशन लाल वगै0 निस्फ हिस्सा एवं अपीलांट व रेस्पो0 वहिस्सा बराबर निस्फ अर्थात 1/4, 1/4 के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। अपीलांट रेस्पो0 एवं रोशनलाल वगे0 के मध्य आपसी समझौते के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन कराने हेतु तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, सभी पक्षकारान ने अपने हस्ताक्षर किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर आपसी समझोते के आधार पर तहसीलदार भरतपुर विभाजन स्वीकार किया गया था। अपीलांट अनपढ व्यक्ति है मात्र हस्तारक्षर करना जानता है, दौराने बटवारा अपीलांट को यह बता गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रकवा बटवारे में दिया गया है। लेकिन राजस्व रिकार्ड के अनुसार रक्वा 0.16 के बजाय 0.012 है0 दिया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि रकवा कमी की जानकारी दिनांक 20.5.2024 को हुई। उक्त कमी रकवा 0.04 है0 को दुरुस्त कराने हेतु रेस्पो0 से कहा गया, रेस्पो0 आनाकानी करते रहे। तहसीलदार ने दिनांक 20.5.024 को रकवा दुरस्त करने से मना कर दिया कह दिया कि न्यायालय से करवाओ। अपील जानकारी दिनांक 20.5.2024 से अन्दर म्याद पेश की गई, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.4.2015 में आंशिक संशोधन करते हुये आराजी खसरा नम्बर 1525/795/0.12है0 के स्थान पर 0.08 है0 किया जाकर शेष रकवा 0.04 है0 का अलग नम्बर बनाया जाने के आदेश तहत न्यायालय को दिये जावें।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। उभय पक्षकारान ने अपनी आराजी का बटवारा आपसी समझौते के आधार पर कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आर.टी. एक्ट की धारा 53 के तहत तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति अनुसार मुताविक रिपोर्ट पटवारी के अपने अपने हिस्से में आराजी का विभाजन स्वीकार किया जाकर सभी पक्षकारान ने सहमति के अपने हस्ताक्षर किये हैं। अपीलान्ट ने भी अपने हिस्से में आराजी कुरा को सही होना स्वीकार करते हुये हस्ताक्षर किये गये हैं। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है, म्याद की देरी के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र धारा–5 किया गया है उसमें अंकित कथन झूठे हैं। सहमति के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश है अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथन पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.4.2015 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि उभय पक्षकारान (खातेदारान) ने अपनी खातेदारी आराजी के आपसी सहमति के आधार पर बटवारे के लिये एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 53 के तहत तहसीलदार भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि —".....हमने आपसी सहमति के उपरोक्त सामूहिक खातेदारी की भूमि का बंटवारा नाम के सामने अभिलिखत भूमि के अनुसार कर लिया है। यह बंटवारा हमने आपसी रजामंदी से बिना किसी दबाब के किया है तथा इस बंटवारे में हम सभी सहमत है। भविष्य में अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करेंगें तथा उक्त विभाजन को कर कोई विवाद नही करेंगे तथा अपना अपना लगान अलग अलग स्वयं अदा करेंगें.....।"

प्रार्थना पत्र में आपसी सहमति के आधार पर हिस्से में आई भूमि का विवरण (कुरे) दर्ज किये गये हैं, सभी सहखातेदारान ने उक्त विभाजन को स्वीकार करते हुये (दो गवाहान एवं हल्का पटवारी एवं भू–अभि.निरीक्षक की उपस्थित में) अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। उभय पक्षकारान(सहखातेदारान) द्वारा आपसी समझौते के आधार पर किये गये बटवारानामा को तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक/एलआर/15/1151 दिनांक 6.4.2015 में विभाजन को स्वीकार किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राजात करनें के आदेश दिये गये हैं। पक्षकारान ने ये बटवारनामा आपसी सहमति के आधार पर किया गया है, बटवारानामा पर किसी भी पक्षकारान ने कोई आपत्ति दर्ज कराने का कोई उल्लेख नही है, यानि सहमति के आधार पर किये गये बटवाराना से सभी सहखातेदार सहमत थे और उन्होने (दो गवाहान एवं हल्का पटवारी एवं भू–अभि. निरीक्षक की उपस्थित में) अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। अब अपीलान्ट का 09 साल बाद आकर यह कहना कि उसे बटवारे में 04 ऐयर रकवा कम मिला है, म्याद प्रार्थना पत्र में यह कथन कि रकवा कमी की जानकारी उसे दिनांक 20.5.24 को हुई स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि विवादित सामूहिक खातेदारी आराजी भूमि के सभी सहखातेदारान ने आपसी सहमति से पटवारी हल्का एवं भू–अभि.निरीक्षक बनाये गये हिस्से (कुरों) पर सभी हिस्सेदारान ने अपनी सहमति के दो गवाहान के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा सही होना स्वीकार किया है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक/एलआर/15/1151 दिनांक 6.4.2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 53 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर विभाजन स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काविल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर